इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

Article - 61

[महाभियोग की प्रक्रिया
Impeachment Process]

- राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया ~~संसद~~ के संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है।
- लोकसभा या राज्यसभा जिस सदन में कार्यवाही शुरू होगी उसे प्रथम सदन कहते हैं।
- प्रक्रिया शुरू करने के लिए 1/4 सदस्य प्रस्ताव लेकर आते हैं।
- प्रस्ताव पर चर्चा से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है।
- राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं।

NOTE:- Attorney General को नहीं भेज सकता।

- सदन 2/3 के कुल बहुमत (कुल सदन संख्या) (निर्वाचित + मनोनित) दोनों 2/3 के बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा।
- इसके बाद प्रक्रिया दूसरे सदन में चली जाती है दूसरे सदन को जाँच सदन कहते हैं जिसमें संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग की जाँच करता है।

NOTE:- राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया है।

→ दूसरा सदन यदि राष्ट्रपति को दोषी पाता है तो 2/3 कुल सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है और राष्ट्रपति तुरन्त हट जाते है !

NOTE :-

→ राज्य विधानसभा के सदस्य इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेतें !

→ भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है !

→ राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार से उसके वेतन भत्ते और सुविधाओं में कटौती नहीं की जा सकती !

Article - 57

[राष्ट्रपति का पुर्ननिर्वाचन
Re-election of President.]

→ भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है !

Article-59

[राष्ट्रपति के पद की शर्तें
Conditions of the President office.]

- लाभ के पद पर ना हो।
- वो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो।
- उन्हें ₹ 5 लाख महीना उपलब्धियाँ या वेतन प्राप्त होगा।
- राष्ट्रपति को राष्ट्रपति आवास प्राप्त होता है।

NOTE:-

- सेवा काल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन भत्ते में कोई कटौती नहीं होगी।

Article-53

[राष्ट्रपति की शक्तियाँ
Powers of President.]

- अनुच्छेद-53 में सरकार की कार्यपालिका, शक्तियाँ, राष्ट्रपति में निहित होती है।
- राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं और अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते है।

Article- 74(1)

→ राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद् होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा।

NOTE:-

→ अत: भारत में राष्ट्रपति एक संविधानिक प्रमुख है और इस तरह मंत्री परिषद् की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है।

→ क्योंकि भारत में संसदीय प्रकार की व्यवस्था का प्रावधान है जिसके तहत राष्ट्र के दो प्रमुख होते हैं।

1. नाम मात्र का → राष्ट्रपति
2. वास्तविक → प्रधानमंत्री

Article- 75

→ प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्री परिषद् की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं

* प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद् → Article- 75
* राज्यपाल → Article- 155
* सर्वोच्च न्यायलय के जज → Article- 124
* उच्च न्यायलय के जज → Article- 217.

* अनुसूचित जाति आयोग → Article - 338
* ST commission → Article - 338(A)
* OBC Commission → Article - 338(B)
* UPSC → Article - 316
* Election Commission → Article - 324
* अल्पसंख्यक आयोग → Article - 350(B)
* महिला आयोग → 1992 में बना
* मानवाधिकार आयोग → 1993 में बना
* Lt. Governor → Article - 239
* दिल्ली पुडुचेरी के मुख्यमंत्री → Article - 239(AA)
* Attorney General → Article - 76
* CAG → Article - 148
* वित्त आयोग → Article - 280.

Article - 79

[राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ
Legislative Powers of the President]

→ राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है।
→ संसद में राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा तीन अंग है।
→ संसद बिना राष्ट्रपति के अनुमति के विधि नहीं बना सकता है।

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

Article-99

→ लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति करता है!

→ राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं!

→ राज्यसभा के मनोनित सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं!

Article-80(3)

→ राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनित करते हैं!

Article-331

→ अनुच्छेद-331 के तहत राष्ट्रपति 2 Anglo Indian की नियुक्ति करते थे!

→ 104वे० संविधान संशोधन 2020 के माध्यम से वर्तमान में इस प्रावधान पर रोक है!

Article-85

→ अनुच्छेद-85 के तहत राष्ट्रपति संसद सत्र की आहूति (बुलाना) करता है, सत्रावसान करता है, व लोकसभा को भंग करता है!

Article-86

→ राष्ट्रपति संसद के सदनों का संबोधन कर सकता है!

Article-87

→ प्रथम लोकसभा का संबोधन राष्ट्रपति करते हैं!

→ प्रत्येक वर्ष के प्रथम बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं!

Article-111

→ अनुच्छेद -111 के तहत राष्ट्रपति की बिना अनुमति के कोई कानून नहीं बन सकता!

→ अनुच्छेद - 111 के तहत राष्ट्रपति निषेधाधिकार शक्ति (Veto Power) का प्रयोग करते हैं!

VETO POWER

→ भारत के संविधान में 3 प्रकार के वीटो शक्ति हैं!

1. आत्यांतिक वीटो (Absolute Veto)
2. निलंबनकारी वीटो (Suspensive Veto)
3. जे० वी० वीटो (Pocket Veto)

* क्वालीफाईड वीटो (Qualified Veto)
  ↳ इसका प्रयोग USA में होता है!

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

आत्यांतिक वीटों (Absolute Veto)

→ राष्ट्रपति विधायिका की किसी विधेयक पर ना या मना कर दें उसे आत्यांतिक वीटों कहते हैं।

जैसे:-

→ 1954 में राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद PEPSU विधेयक पर प्रयोग किया था।

निलंबनकारी वीटों (Suspensive Veto)

→ राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुर्नविचार के लिए वापस कर दें।

जैसे:-

→ 2006 में राष्ट्रपति A.P.J. Abdul Kalam ने लाभ के पद के संबंधी विधेयक पर प्रयोग किया।

जे० वी० वीटों (Pocket Veto)

→ राष्ट्रपति विधेयक पर न हाँ करे, न ना करे।

जैसे:-

→ डाक संशोधन विधेयक 1986 पर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने Pocket veto का प्रयोग किया।

NOTE :-

→ विधेयक तीन प्रकार के होते हैं

1. साधारण विधेयक !
2. संविधान संशोधन विधेयक !
3. धन विधेयक !

→ राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर Veto Power का प्रयोग नहीं करते हैं !

→ साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति Veto Power का प्रयोग करते हैं !

→ सामान्यतः

(a) गैर - सरकारी विधेयक !

(b) सरकार यदि अपना बहुमत खो चुकी है !

तब Veto Power का प्रयोग होता है !

Article - 123

अध्यादेश (Ordinance)

→ संसद के सत्र न चलने पर या किसी सदन के भंग होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं !

→ अध्यादेश संसद के कानून की तरह होता है यह अनुच्छेद - 13 में विधि की परिभाषा के अंतर्गत आता है !

→ अध्यादेश अधिकतम 6 महिनें के लिए होता है यदि 6 महिनें में संसद पारित नहीं करता है तो रद्द हो जाता है।

→ अत: अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महिना।

→ यदि अध्यादेश जारी होने के बाद संसद के दोनों सदनों के सत्र चल जाते हैं तो सत्र बैठक से 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश पारित करना होगा।

D.C. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1986)

→ Supreme Court ने निर्णय दिया की एक विषय पर बार - बार अध्यादेश जारी करना गलत है।

→ बिहार में 1967 से 1981 के बीच में 250 बार अध्यादेश जारी किए गए।

→ अध्यादेश का न्यायिक पुनर्वालोकन किया जा सकता है।
जैसे:- कृष्ण कुमार वाद / केस 2017.

[राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति
Judicial Power of the President]

→ Supreme Court अनुच्छेद -124 और High Court अनुच्छेद -217 के तहत जजों की न्युक्ति करते हैं।

Article- 72

[राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति
President's Pardoning Powers]

→ राष्ट्रपति भारत के किसी भी न्यायलय के दंड को माफ करने की शक्ति रखता है।

क्षमा (Pardon)

→ राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के मृत्यु दंड, उम्र कैद, सजा आदि को पूर्णत: माफ कर देते हैं।

लघुकरण (commutation)

इसमें सजा की अवधि में कोई कमी नहीं होती सजा की प्रकृति बदल दी जाती है।

जैसे:- मृत्यु दंड को उम्रकैद में,
कठोर कारावास से साधारण कारावास।

परिहार (Remission)

→ सजा की प्रकृति में बदलाव न करके सजा की अवधि मे कमी करते हैं।

जैसे:- 10 साल की सजा को 8 साल कर देना।

विराम (Respite)

→ किसी भी सजा पर शारीरिक स्वास्थ कारनों से रोक लगा देना।

जैसे:- गर्भवती महिला या बिमारी से ग्रसित, व्यक्ति, मानसिक रूप से बिमार।

प्रविलंबन (Reprieve)

→ सजा पर तत्काल थोड़े समय के लिए रोक लगा देना जिससे उसकी क्षमा याचिका पर बिचार किया जा सके।

Article - 143

→ राष्ट्रपति को supreme court से किसी भी मामले में सलाह लेने की शक्ति प्राप्त है।

NOTE :-

→ राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

→ Supreme Court भी इस सलाह को देने के लिए बाध्य नहीं है।

→ 26 Jan 1950 से पहले के मामलों में Supreme Court सलाह देने के लिए बाध्यकारी है बाद के मामलों में नहीं है।

राष्ट्रपति की वित्तिय शक्तियाँ
Financial Power of the President

→ वार्षिक वित्तिय विवरण (Budget) (अनुच्छेद - 112) राष्ट्रपति रखवाता है।

→ धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से पेश किया जाता है।

Article - 267

आकस्मिक निधि
contigency fund

→ आकस्मिक निधि से धन पैसा निकालने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त होता है।

राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ
Military Power of the President

→ राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है।

→ युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं।

राष्ट्रपति की कूटनीति शक्ति
Diplomatic Powers of the President

→ राजदूत और उच्चायुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।

→ अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं।

राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति
Emergency Power of the President

→ राष्ट्रीय आपातकाल (Article-352)

→ राष्ट्रीय शासन (Article-356)

→ वित्तिय आपातकाल (Article-360)

· की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर।

→ भारत में राष्ट्रीय आपातकाल तीन बार लगा है

1. (1962 - 1968) - चीन - J.L.Nehru (PM) - सर्वपल्ली राधाकृष्णन (President)

2. (1971 - 1977) - Pakistan - ~~Indira~~ Indira Gandhi (PM) - V.V. Giri (President)

3. (1975 - 1977) - आंतरिक अशांति - Indira Gandhi (PM) - फखरुद्दीन अली अहमद (President)

NOTE :-

→ राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद् के सलाह से करते हैं अत: राष्ट्रपति नामात्र का अध्यक्ष है।

भारत का उपराष्ट्रपति
[Article - 63 - 73]

Article- 63

→ भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा !

Article-64

→ उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा !

→ अत: उपराष्ट्रपति स्वत: पदेन सभापति बन जाएगा !

NOTE:-

→ अनुच्छेद - 89 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा !

Article - 66

[उपराष्ट्रपति की योग्यताएं
Qualification of Vice- President]

→ भारत का नागरिक हो !

→ 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो !

→ राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता !

- लाभ के पद पर ना हो।
- संसद और राज्य विधान मंडल का सदस्य ना हो।
- उपरोक्त योग्यता के 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक के साथ ₹ 15,000 की राशि का cheque RBI को देय होगा।

NOTE:-

- कुल वैध मत का 1/6 ना प्राप्त होने पर जमानत जब्त और यदि प्राप्त हो जाता है तो राशि वापिस कर दी जाती है।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल
Vice President's Electoral College

- संसद के सभी सदस्य (निर्वाचित + मनोनीत)

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका
Method of election of Vice-President

- एकल संक्रमणीय मत प्रणाली।
- आनुपातिक प्रतिनिधित्व।
- गुप्त मतदान।

Article- 69

[उपराष्ट्रपति की शपथ
Oath of Vice-President]

→ उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा।

→ उपराष्ट्रपति की शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है।

Article- 67

[उपराष्ट्रपति का कार्यकाल
Vice-President's Term]

→ उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक होता है या उत्तराधिकारी के आने तक।

→ उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं।

→ उपराष्ट्रपति की मृत्यु या समय से पहले पद खाली होने यथाशीघ्र पद भरा जाएगा।

[उपराष्ट्रपति का पद से हटाया जाना
Removed from office as Vice President]

→ उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का आधार नहीं दिया था।

→ उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में शुरू होती है।

→ राज्यसभा उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देती है फिर राज्यसभा अपने तात्कालिक सदस्य संख्या से प्रस्ताव पारित करेगी।

→ लोकसभा की सहमति प्राप्त करने पर उपस्थित और मतदान (50% +1) प्राप्त करने पर उपराष्ट्रपति पद से हट जाएगा।

→ अभी तक किसी उपराष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया गया है।

→ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर Supreme Court का निर्णय अंतिम होगा।

→ उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अधूरा रहने पर निर्वाचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[उपराष्ट्रपति का वेतन
Salary of Vice-President]

→ उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं मिलता है।

→ बाकी राज्यसभा के सभापति के लिए वेतन मिलता है।

Article-67 [उपराष्ट्रपति का कार्यकाल
Term of Vice-President]

→ उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।

NOTE:-

सभापति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है और उसके कर्तव्य का निर्वहण करता है तो उसे राष्ट्रपति का वेतन भत्ता और सारी सुविधाओं प्राप्त होगा (Article-65)

☆ भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी?

→ श्री कृष्णकांत

★ वे कौन से उपराष्ट्रपति थे जो उच्चायुक्त रहे?

→ डा॰ सर्वपल्लीराधाकृष्णन्

→ V.V. Giri.

★ वह उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बनें।

1. डा॰ जाकिर हुसैन
2. वी॰ वी॰ गीरी
3. आर॰ वेंकटरमण
4. डा॰ शंकर दयाल शर्मा
5. के॰ आर॰ नारायणन
6. डा॰ सर्वपल्लीराधाकृष्णन्

उपराष्ट्रपति

V.V. Giri – कार्यवाहक – जाकिर हुसैन

B.D. जाती – कार्यवाहक – फखरुद्दीन अली अहमद

M. हिदायुतुल्ला

Article-70

→ राष्ट्रपति का पद खाली होने पर संसद नियम बनाएगा ||

प्रधान मंत्री और मंत्री परिषद्
Prime miniter and Council of Minister
Article – 74 - 75

→ भारत के संविधान में इस अध्याय को समझने के लिए अनुच्छेद - 74, 75 78 88 352(3) को अध्ययन करना पड़ता है।

Article - 74

→ अनुच्छेद - 74 राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रीपरिषद् होगी, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा।

NOTE:-

→ राष्ट्रपति मंत्रीपरिषद् की सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

→ राष्ट्रपति मंत्रीपरिषद् सलाह एवं सहायता अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है।

→ मंत्रीपरिषद् का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।

Article - 75

- राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के सुझाव पर मंत्री परिषद् की नियुक्ति करता है।
- भारत में संसदीय प्रणाली व्यवस्था है जिसमें लोकसभा में बहुमत दल की सरकार बनाने का मौका दिया जाता है राष्ट्रपति बहुमत दल को सरकार बनाने का निमंत्रण न्यौता देते हैं।
- बहुमत दल - अपने प्रधानमंत्री पद के प्रत्यासी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने को भेजते हैं।

NOTE:-

- राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है।
- प्रधानमंत्री कोई निर्वाचित पद नहीं है।

प्रधानमंत्री पद की योग्यता
Eligibility for Prime ministership

- प्रधानमंत्री पद की योग्यता नहीं है परन्तु संसदीय व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री संसद का संसद हो यदि नियुक्ति के समय नहीं है तो नियुक्ति के 6 महीनें के अंदर सदस्यता ग्रहण कर लें।

→ यदि लोकसभा का सदस्य बनता है तो आयु-25वर्ष और राज्यसभा का सदस्य की आयु - 30वर्ष का आयु पूर्ण कर चुका हो।

→ प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम् आयु - 25वर्ष है।

[प्रधानमंत्री की शपथ Oath of Prime minister]

→ प्रधानमंत्री या कोई मंत्री राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण करते हैं।

→ ये दो प्रकार की शपथ लेते हैं।

1. पद की शपथ
   - → संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा!
   - देश की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण!
   - भय पक्षपात और द्वेष की भावना न रखना!
2. गोपनीयता की शपथ
   - → संघ के मंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में विषय को गोपनीयता रखेगा!

→ राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं।

जैसे :- इंदिरा गाँधी → 1966
डा॰ मनमोहन सिंह → 2004, 2009
एच॰ डी॰ देवगौड़ा → 1996
इन्द्र कुमार गुजराल → 1997.

Article- 75 (3)

प्रधानमंत्री का कार्यकाल
Primeminiter's Tenure

- मंत्रीपरिषद् का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है।
- मंत्रीपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है।
- एक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति के जिम्मेदार होता है, राष्ट्रपति उसे कभी भी पद से हटा सकते है प्रधानमंत्री की सलाह पर।

NOTE:-

- मंत्रीपरिषद् सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर करता है अत: डूबेगा भी एक साथ तैरेगा भी एक साथ।
- 91 वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम् से मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती यह सुझाव प्रथम संविधान समीक्षा आयोग 2000 के माध्यम् से दिया गया।
- प्रथम संविधान समीक्षा आयोग (2000) ने लोकसभा 10% का सुझाव दिया।

मंत्री परिषद्
Council of Ministers

→ मंत्री परिषद् में चार प्रकार के मंत्री होते हैं।

कैबिनेट मंत्री	राज्य मंत्री	राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार	उपमंत्री
→ ये किसी विभाग के अध्यक्ष होते हैं।	→ ये किसी विभाग के अध्यक्ष नहीं होते हैं।	→ ये अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं।	→ ये सबसे नीचे के मंत्री होते हैं जो सभी मंत्रियों की सहायता करते हैं।
→ इनके समूह को मंत्रिमंडल भी कहते हैं। जैसे :- • गृहमंत्री, • शिक्षा मंत्री, • विदेश मंत्री, इत्यादि।	→ कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं।	→ इनका दर्जा राज्यमंत्री का होता है।	→ मोदी सरकार में इनका प्रावधान नहीं है।

NOTE :-

→ मंत्रीमंडल और मंत्रीपरिषद् की बैठक अलग-अलग होती हैं।

Article - 77

- मंत्रियों के मध्य विभागों का बटँवारा प्रधानमंत्री करते हैं लेकिन विभागों बटवारे के संबंध मे नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति में नीहित है।

NOTE:-

- मंत्रीमंडल शब्द का प्रयोग मूल संविधान में नहीं था।
- 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से अनुच्छेद- 352(3) में इसका प्रयोग किया।

Article - 88

[अधिकार
Rights]

- अगर कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा की बैठक मे भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, समिति का सदस्य हो सकता है, परन्तु वोट नहीं दे सकता है!

किचेन कैबिनेट (Kitchen Cabinet)

- किचेन कैबिनेट एक Private Cabinet है इसका विचार USA में देखने को मिलता है इसमें प्रधानमंत्री अपने सगे- संबंधी मित्र आदि की Cabinet का हिस्सा भाग बनाता है यह प्रावधान भारत में नहीं है!

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

छाया मंत्रिमंडल (Shadow Cabinet)

→ छाया मंत्रिमंडल सरकार के मंत्रिमंडल के खिलाफ विरूद्ध विपक्ष का मंत्रिमंडल होता है ये छाया की तरह काम करता है।

→ यह संसदीय प्रणाली में ब्रिटेन की देन है।

[प्रधानमंत्री का कर्तव्य Duties of Primeminter]

→ प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को अनुच्छेद - 78 में परिभाषित किया गया है।

1. संघ की कार्यपालिका के सभी कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को देना।
2. संघ की विधायिका के सभी विधियों की जानकारी राष्ट्रपति को देना।
3. राष्ट्रपति किसी विषय को मंत्री परिषद् के विचार हेतु रखवा सकता है।

प्रधानमंत्री की शक्ति
Power of Prime minister

- प्रधानमंत्री मंत्री परिषद् का अध्यक्ष होता है।
- प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है जिसका वो सदस्य हो।
- मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करवाता है।
- प्रधानमंत्री नीति आयोग आदि के अध्यक्ष होते हैं।

संसदीय सचिव
Parliamentary secretary

- ये प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
- प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देते हैं।
- प्रधानमंत्री के इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं।
- ये संसद के सदस्य होते हैं।
- इनको राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त होता है परन्तु मंत्री-परिषद् के सदस्य नहीं होते हैं।

Article-76

महान्यायवादी (Attorney General)

→ भारत सरकार का विधिक अधिकारी होता है!

→ 1987 के नियम के अनुसार भारत में तीन विधिक अधिकारी होते हैं!

1. महान्यायवादी (Attorney General)
2. सॉलिसिटर जनरल (Sullicittor General)
3. एडिसनल सॉलिसिटर जनरल (Additional Sullicittor General)

→ यह ब्रिट्रेन से लिया गया है!

महान्यायवादी की नियुक्ति
Appointment of Attorney General.

→ महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा!

महान्यायवादी की योग्यता
Attorney General's Qualification.

→ Supreme Court के न्यायधीश के बराबर!

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

[सर्वोच्च न्यायालय के जज की योग्यता Supreme Court Judge's Qualification]

- 5 वर्ष तक High Court का जज रहा हो।
- 10 वर्ष तक Supreme Court/High Court में वकील रहा हो।
- राष्ट्रपति की नजर में जाना-माना विधिवेत्ता हो।

[महान्यायवादी का कार्यकाल Tenure of Attorney General]

- इसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रहता है।
- इसका कार्यकाल fix नहीं है।
- भारत के प्रथम महान्यायवादी एम॰ सी॰ सितलवाड़ 13 वर्ष तक भारत के महान्यायवादी रहें।

NOTE:-

- 1987 के नियम के अनुसार पद से हटाने से पहले राष्ट्रपति को Attorney General को 3 महीनें बताना होता है।

महान्यायवादी का कार्य
Attorney General's Job

- यह भारत सरकार का वकील होता है।
- यह भारत सरकार की बात को सभी न्यायलओं में रखता है।
- यह भारत सरकार की वाद केस की सुनवाई करता है।
- राष्ट्रपति सरकार की विशेष मुद्दे पर सलाह लेते हैं।

NOTE:-

- महान्यायवादी को वेतन नहीं मिलता है!
- यह सरकारी कर्मचारी नहीं है।
- इसको पारिश्रमिक मिलता है।
- इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति निर्धारित/तय करते हैं।

महान्यायवादी का अधिकार
Attorney General's Rights

अनुच्छेद -88 के अंतर्गत -

- संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है।
- संसद के किसी भी सदन में बैठक में भाग ले सकता।
- संसद के किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है।
- संसद के किसी भी सदन में भाषण दे सकता है।

NOTE:- वोट नहीं दे सकता है।

[महान्यायवादी का विशेषाधिकारी Attorney General's Privilege]

अनुच्छेद - 105 के अंतर्गत -

- इसको संसद के तरह विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं अतः संसद के अंदर कही गई किसी बात और किसी प्रतिक्रिया के लिए इन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

[महान्यायवादी का पाबंदी (Attorney General's ban)]

- ये सरकार के विरुद्ध केस वाद नहीं लड़ सकता।
- Private Practice कर सकता है।
- किसी फौजदारी (criminal) मामले की सुनवाई सरकार की इजाजत से करेगा।

NOTE:- वर्तमान में भारत के 16वें Attorney General R. वेंकेटरमनी हैं।

NOTE:-

- महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं और सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए एडिसनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं।

→ सॉलिसिटर जनरल और एडिसनल सॉलिसिटर जनरल संविधानिक पद नहीं है यह संवैधिक (Statutory) है·

NOTE:-

→ राज्य सरकार के वकील को महाधिवक्ता (Advocate General) होते है (अनुच्छेद - 165 के तहत)

भारत सरकार के कार्य
Business of the Govt. of India
Article — 77-78

Article- 77

→ भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है!

Article- 78

→ प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि भारत सरकार के सभी कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को दे!

→ अत: भारत सरकार के सभी कार्य प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद् की मदद से करता है और उनकी सूचना राष्ट्रपति को देता है इस प्रकार राष्ट्रपति संविधानिक प्रमुख है और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है!

[redacted]

शासन की प्रणाली

[redacted] System of Govt.

विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर दो प्रकार के शासन की प्रणाली होती है

1. संसदीय शासन (Parliamentary)

   जैसे:- भारत, ब्रिटेन, जापान, कनाडा आदि

2. अध्यक्षीय शासन (Presidential)

   जैसे:- USA, Russia, Brazil etc.

संसदीय शासन (Parliamentary Govt.)	अध्यक्षीय शासन (Presidential Govt.)
→ दो प्रमुख — सरकार का (PM वास्तविक); राष्ट्र का (President संवैधानिक)	→ एक ही प्रमुख - राष्ट्रपति
→ दोहरी सदस्यता → मंत्री कार्यपालिका और विधायिका दोनों का सदस्य होता है!	→ एकहरी सदस्यता → मंत्री सिर्फ कार्यपालिका के सदस्य होते हैं।
→ जैसे भारत में मंत्री संसद के सदस्य होते हैं!	→ यहाँ मंत्री संसद के सदस्य नहीं होते हैं!
→ उत्तरदायी सरकार (Responsible Govt.)	→ गैर- उत्तरदायी सरकार (Non-Responsible Govt)

→ भारत में सरकारें लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती हैं (अनुच्छेद - 75(3) के तहत)	→ USA में कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा नहीं होती और जिम्मेदार नहीं होती
→ गैर-स्थायी सरकार	→ अधिक स्थायी सरकार

संसदीय प्रणाली के गुण और दोष
Merits and Demerits of Parliamentary System

गुण (Merits)	दोष (Demerits)
→ विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य।	→ विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव।
→ उत्तरदायी सरकार।	→ गैर- उत्तरदायी सरकार।
→ निरंकुशता पर रोक।	→ गैर- उत्तरदायी नेतृत्व की संभावना
→ व्यापक प्रतिनिधित्व।	→ सीमित प्रतिनिधित्व।
	→ नीतियों के क्रियांवन में देरी।
	→ निर्णय निर्माण की प्रक्रिया धीमी।

संसद (Parliament)

Article - 79-123

[संघ की विधायिका
Article - 79-123]

Article- 79

→ संसद का निर्माण संसद के तीन अंगो से होता है।

राष्ट्रपति (President)
लोकसभा (Lok-sabha)
राज्यसभा (Rajya-Sabha).

NOTE:-

→ संसद के दो सदन होते है अत: भारतीय विधायिका द्विसदनीय (Two houses) होते है।

→ 1919 के विधेयक के माध्यम से द्विसदनीय विधायिका का निर्माण किया गया।

* लोकसभा को निम्नसदन, जनता का सदन, आम सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन, युवा सदन, इत्यादि नामों से जाना जाता है।

* राज्यसभा को उच्च सदन राज्यों का सदन इत्यादि नामों से जाना जाता है।

* भारत में संसदीय प्रकार की व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है।

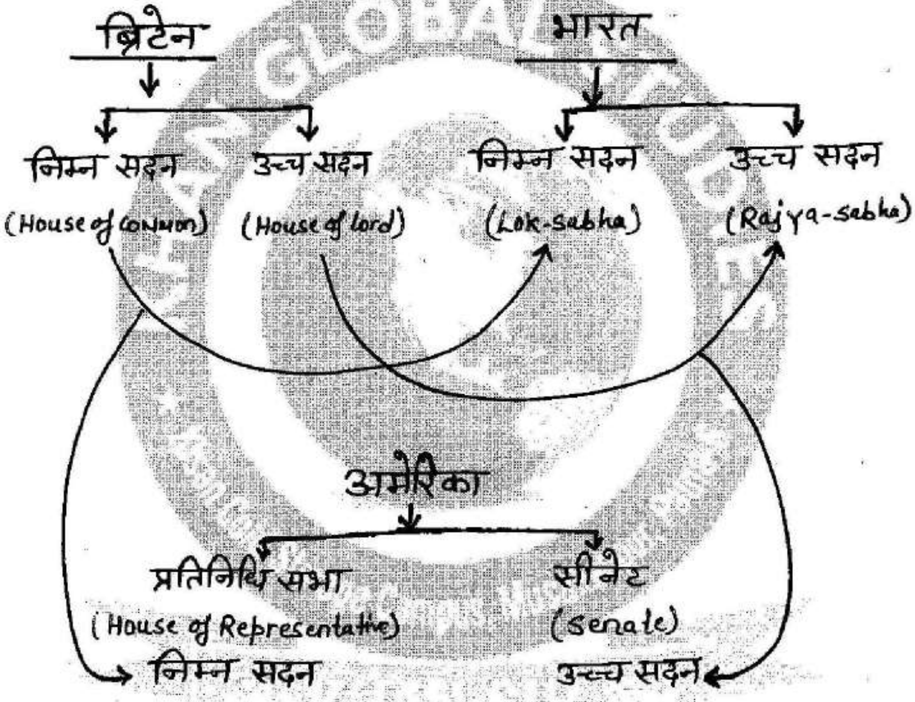

NOTE:-

→ अमेरिका के संसद को congress कहते हैं।

ब्रिटेन	भारत	अमेरिका
House of Lord	Rajya sabha	senate
House of Common	Lok sabha	House of Representative
(संसद)	(संसद)	(congress.)

NOTE:-

→ August 1954, में लोकसभा राज्यसभा हिन्दी नाम!

लोकसभा को House of the people कहते थें!

राज्यसभा को Council of the state कहते थें!

→ 23 August 1954, को इनका हिन्दी नाम दिया गया!

Article-81

[लोकसभा
Loksabha]

→ जनता का सदन
→ निम्न सदन
→ अस्थायी सदन
→ युवा सदन
→ प्रथम सदन
→ लोकप्रिय सदन
→ आम सदन

[लोकसभा की संरचना
Composition of Lok Sabha]

→ लोकसभा की अधिकतम् सीटों की संख्या - 550.

530 - राज्यों से   20 - UT से

NOTE:-

→ 104 वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से आंग्ल भारतीय सदस्यों की मनोनयन को रोक दिया गया है।

→ आंग्ल भारतीय सदस्यों के अनुच्छेद - 366(2) में परिभाषित किया गया है।

→ वे व्यक्ति जिनकी माता भारत से और पिता यूरोप से है उसे आंग्ल भारतीय कहा जाता है।

→ फ्रैंक एंथोनी - 7 बार (आंग्ल भारतीय) लोकसभा के सदस्य मनोनित हुए।

NOTE:-

→ 17वीं लोकसभा में किसी आंग्ल भारतीय को मनोनित नहीं किया गया है।

- एक निर्वाचित आंग्ल भारतीय
- प्रथम " " "
- प्रथम आंग्ल भारतीय जिन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया।

⇒ O. Brien.

* वर्तमान मे लोकसभा में 543 सीटें हैं।
530 - राज्यों से 13 - UT से।

- लोकसभा की सीटों की संख्या 1971 की जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2026 तक के लिए निश्चित कर दी गई हैं।

NOTE :-

- संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण 2001 के जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2026 तक निश्चित कर दिया गया हैं (87वीं संविधान संशोधन)।

परिसीमन आयोग

- हर जनगणना के बाद परिसीमन होगा।
- भारत में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका हैं।

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

- प्रथम परिसीमन आयोग → 1952
- दूसरा " " → 1963
- तीसरा " " → 1973
- चौथा " " → 2002.

- भारत के प्रथम परिसीमन आयोग के अध्यक्ष → एम॰ चन्द्रशेखर (1952)
- भारत के चौथा परिसीमन आयोग के अध्यक्ष → कुलदीप सिंह (2002)

Article - 84

[लोकसभा का निर्वाचन की योग्यताएँ
Qualifications for election to Lok Sabha.]

→ वह भारत का नागरिक हो
→ वह 25 वर्ष की न्यूनतम आयु
→ अन्य योग्यता संसद निर्धारित करेगा

★ संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 से RPA (Representative of people Act) निम्नलिखित योग्यता निर्धारित की है।

1. लाभ के पद पर ना हो।
2. 2 वर्ष से अधिक सजा ना हुई हो।
3. दहेज प्रथा सती प्रथा मुकदमा ना हो।
4. भ्रष्ट आचरण का दोषी ना हो।
5. दल - बदल का दोषी ना हो।
6. दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण नहीं हो।

निर्वाचन

→ लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है इसकी प्रणाली उग्रताही विजेता (First Pass the Post system) कही जाती है जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले को जीत प्राप्त होती है।

NOTE:-

इसमें vote / मत % का कोई मूल्य नहीं होता है।

Article - 99

[लोकसभा के सदस्यों का शपथ
Oath of the Members of the Lok Sabha]

→ संसद के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करता है।

→ नवनिर्वाचित लोकसभा में से राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठ सदस्य होता है (MP के रूप में)।

→ प्रोटेम स्पीकर संसद लोकसभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है।

NOTE :-

→ प्रथम लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर - G.V. मावलंकर

→ 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर - विरेन्द्र कुमार

→ तीसरी अनुसूची के अनुसार इनकी शपथ होती है

Article-83

लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल
Tenure of a member of the Lok Sabha

→ लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है।

→ राष्ट्रीय आपातकाल के समय में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

→ आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने के अंदर लोकसभा का बढ़ा हुआ कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।

→ 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को 1975 से 1976 एवं 1976 से 1977 बढ़ाया गया।

→ इंदिरा गाँधी के शासन काल में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया।

→ राष्ट्रपति स्वयं विवेक से लोकसभा को भंग कर सकते हैं यदि सरकार का बहुमत नहीं है।

→ 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष रहा (1971 - 1977)।

→ वर्तमान में 17वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है जो कि 2019 से 2024 तक है।

Article-80

[राज्यसभा
Rajya-Sabha]

→ राज्यसभा को -

राज्यों का सदन (House of states)
उच्च सदन (Upper House)
स्थायी सदन (Permanent House)
बुजुर्गों सदन (Old House)
निरंतर चलने वाला सदन
नाम से जानते हैं।

→ राज्यसभा का पूर्व नाम Council of state था जो कि August 1954 में राज्यसभा कर दिया गया।

Article-80(3)

[राज्यसभा की सीटों की संख्या
Number of seats in Rajya sabha.]

→ राज्यसभा की सीटों की संख्या 250 राज्यों से 238 और 12 व्यक्ति राष्ट्रपति मनोनित करते हैं।

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की संख्या 245 राज्यों से – 233 और 12 व्यक्ति राष्ट्रपति मनोनित करते हैं।

राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनित करता है जो कि विज्ञान, कला, साहित्य, समाज-सेवा, इन क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखते हैं।

NOTE :-

प्रथम राज्यसभा में मैथिली शरण गुप्त, काका कालेकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पृथ्वीराज कपूर, जाकिर हुसैन।

राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएँ
Qualifications of Rajya Sabha Members

→ भारत का नागरिक हो।

→ 30 वर्ष की न्यूनतम आयु कर चूका हो।

→ RPA (Representative of people Act) जन प्रतिनिधि 1951 के अनुसार।

[राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन
Election of members of Rajya sabha]

→ राज्यसभा का निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं।

→ यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर अप्रत्यक्ष तरीके से होता है।

NOTE :-

→ यह खुला मतदान होता है।

→ राज्यसभा में खुला मतदान होता है अत: MLA को अपना मत पार्टी को दिखाकर देना होता है यह प्रथा 2003 से शुरु हुई है।

→ राज्यसभा की मतदान में जीत के लिए निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है (50% + 1)।

[राज्यसभा का कार्यकाल
Tenure of Rajya sabha.]

राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित है।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
राज्यसभा मे चुनाव 2 वर्ष में होता है।

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

NOTE :-

- → राज्यसभा मे 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर निर्वाचित होते हैं और पुराने वाले बाहर कर दिए जाते हैं।
- → राज्यसभा की शुरूआत में कुछ लोगों का कार्यकाल 2 वर्ष, 4 वर्ष रहा परन्तु 1960 से सभी का कार्यकाल 6 वर्ष हैं।
- → यदि कोई व्यक्ति एक साथ दो सदनों का सदस्य बन जाता हैं तो उसके राज्यसभा की सदस्यता चली जाएगी।
- → यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी सदन का सदस्य हैं और दूसरे सदन का सदस्य भी बन जाता हैं तो उसके पहले सदन की सदस्यता चली जाएगी।

NOTE :- जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार 1951.

संसद के पदाधिकारी

- लोकसभा
  - स्पीकर → अध्यक्ष
  - डिप्टी स्पीकर → उपाध्यक्ष
  - लोकसभा सचिव
- राज्यसभा
  - सभापति (chairman)
  - उपसभापति (Vice-Chairman)
  - सचिव (Secretary)

[लोकसभा का अध्यक्ष
Speaker of Loksabha.]

Article-93

- अनुच्छेद -93 के अनुसार नवनिर्वाचित लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेगी।(choose).
- लोकसभा के अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं लेता है कोई प्रतिज्ञा नहीं लेता।
- इसकी शपथ का तीसरी अनुसूची में शपथ का कोई प्रावधान नहीं है।

NOTE :-

- इसकी शपथ संसद के (लोकसभा) के सदस्य के रूप में होती है न कि अध्यक्ष के रूप में।

Article-94

[लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल
Tenure of Loksabha Speaker.]

- साधारणत: 5 वर्ष होता है।
- लोकसभा भंग होने पर अगली लोकसभा तक रहता है।
- त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है।
- लोकसभा हटा सकती है।

लोकसभा अध्यक्ष हटना
Removal of the speaker of the Loksabha

→ लोकसभा अपने तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से हटा सकती है।

NOTE:-

→ तात्कालीन का अर्थ - वर्तमान सदस्य संख्या का साधारण बहुमत।

→ प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर को हटाने का प्रस्ताव लाया गया था परन्तु आज तक किसी भी अध्यक्ष को हटाया नही गया।

→ लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तो वो सदन की अध्यक्षता नही करेगा निर्णायक मत नहीं देगा।

→ लोकसभा सदस्य के तौर पर सदन की कार्यवाही में भाग लेगा।

लोकसभा अध्यक्ष का कार्य
Work of speaker of Lok sabha

→ लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है।

→ सदन की कार्यवाही को संचालित करता है।

→ कोरम (गणपूर्ति) पूरी न होने पर कार्यवाही स्थगित करता है।

→ संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है।

→ धन विधेयक का निर्धारण।

→ निर्णायक मत का प्रयोग।

→ सदन के सदस्यों को बोलने की अनुमति।

→ दल-विरोध अधिनियम के तहत सदस्य को दोषी करना।

→ यह किसी भी सदस्य की सदस्यता रद्द करने में राष्ट्रपति को सलाह देता है।

NOTE:-

→ वे लोकसभा अध्यक्ष जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई।

1. गणेश वासुदेव मावलंकर
2. जी॰ एम॰ सी बालयोगी

→ नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा अध्यक्ष पद से दो बार इस्तीफा दिया।

→ बलराम जाखड़ सर्वाधिक लम्बे समय (10वर्ष) तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे।

→ Supreme Court के न्यायधीश के॰ एस॰ हेगड़े लोकसभा के अध्यक्ष बने।

→ महिला लोकसभा अध्यक्ष - मीरा कुमार & सुमित्रा महाजन।

NOTE:-

→ भारत में लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की व्यवस्था 1919 के अधिनियम से की गई थी जिसे 1921 में लागू किया गया।

→ 1925 में विट्ठल भाई पटेल प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने।

→ अध्यक्ष - उपाध्यक्ष को पहले President और Deputy President के नाम से जानते थे।

→ लोकसभा के एकमात्र अनुसूचित जनजाति के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पी॰ ए॰ संगमा थे।

Article - 93

लोकसभा के उपाध्यक्ष
Deputy speaker of the Lok sabha

→ लोकसभा अपने मे से उपाध्यक्ष को चुनती है।

→ उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के अनुपस्थिति में लोकसभा को अध्यक्षता करता है।

लोकसभा के उपाध्यक्ष को पद से हटाना
Removal of Deputy speaker of Lok-sabha.

→ त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है।

→ लोकसभा तात्कालीक सदस्य संख्या से 14 दिन का नोटिस देकर पद से हटा देती है।

→ उपाध्यक्ष के पास कोई ~~अधिक~~ शक्ति नहीं होती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पद ग्रहण करता है।

NOTE :-

→ वर्तमान लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं है।

→ एक 9 सदस्यों की समिति बनाई गई है जिस समिति में विभिन्न राजनीतिकारों के सदस्य है इस पैनल के सदस्य अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहण करते है।

→ प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंतशयनम् अयंगर थे।

**[लोकसभा सचिव
Lok Sabha Secretary]**

→ लोकसभा सचिव स्थायी कार्यपालिका का सदस्य है ये 60 साल के लिए आता है।

→ लोकसभा सचिव लोकसभा अध्यक्ष के प्रति जिम्मेदार होता है।

राज्यसभा (Rajya Sabha)

↓

- सभापति (chairman) (Article-89(1))
- उपसभापति (vice-chairman) (Article-89(2))
- सचिव (secretary)

राज्यसभा में सभापति उपसभापति और सचिव होते है।

राज्यसभा का सभापति
Chairman of Rajya sabha

→ भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं।

राज्यसभा का उपसभापति
Vice-chairman of Rajya sabha

→ राज्यसभा उपसभापति का चुनाव करती है।

→ उपसभापति का कार्य सभापति की अनुपस्थिति में इसके कार्य करती है।

→ उपसभापति सभापति को त्यागपत्र देते हैं।

→ उपसभापति को राज्यसभा तात्कालीक बहुमत से हटा सकती है।

→ राज्यसभा के प्रथम ~~उपसभापति~~ उपसभापति - S.V. Krishna Rao.

→ राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति - हरिवंश नारायण सिंह

NOTE:-

→ राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है परन्तु सभापति और उपसभापति का कार्यकाल 5 वर्ष है।

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

[सभापति के कार्य
Functions of the chairman.]

→ राज्यसभा के सभापति उपसभापति का कार्य राज्यसभा का कार्य संचालन करना।

→ सदस्यों के लिए नियम बनाना।
राज्यसभा के सदस्यों का दल - बदल का निर्णय लेना।

संसद की कार्यवाही (Proceedings of Parliament)

→ संसद में 1 वर्ष को 3-सत्रों में बाँटते हैं।

संसद

- बजट सत्र (Feb- May)
- मानसून सत्र (July- Sept)
- शीतकालीन सत्र (Nov- Dec)

NOTE:-

→ January June and October तीन महीनें में सत्र नहीं होतें।

→ बजट सत्र सबसे बड़ा सत्र है।

→ शीत सत्र सबसे छोटा सत्र है।

NOTE:-

→ अनुच्छेद- 85 के अंतर्गत सत्र बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं।

→ संसद के दो सत्रों के मध्य में 6 महीनें से अधिक का समय नहीं हो सकता है।

→ सत्रावसान की शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित है।

संसद के दिन का समय

→ 11 AM - 12 PM → प्रश्नकाल

→ 12 PM - 1 PM → शून्यकाल

→ 1 PM - 2 PM → Lunch

→ 2 PM - 5 PM → राज्यसभा का कार्यकाल

→ 2 PM - 6 PM → लोकसभा का कार्यकाल

प्रश्नकाल [11 AM - 12 PM]

→ संसद का पहला घंटा प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहलाता है

→ प्रश्नकाल में तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं

(i) तारांकित प्रश्न (Starred Question)

(ii) अतारांकित प्रश्न (Un-starred Question)

(iii) अल्प सूचना प्रश्न (Short-Notice Question)

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

तारांकित प्रश्न (Starred Question)

- तारांकित प्रश्न महत्वपूर्ण प्रकृति के होते हैं।
- इन प्रश्नों का जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है।
- इन प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं।

NOTE :- तारांकित प्रश्न की प्रकृति निर्धारण करने की शक्ति सदन के अध्यक्ष में निहित होती है।

- 1 दिन में लोकसभा में अधिकतम 20 प्रश्न एवं राज्यसभा में अधिकतम 15 प्रश्न।
- 1 सदस्य एक ~~प्रश्न~~ दिन में एक प्रश्न लोकसभा में पूछ सकता है।
- 1 सदस्य एक दिन में 3 प्रश्न राज्यसभा में पूछ सकते हैं।

अतारांकित प्रश्न (Un-starred Question)

- जिन प्रश्नों की प्रकृति कम महत्वपूर्ण होती है उन्हे अतारांकित प्रश्न कहते हैं।
- इनका जवाब लिखित तौर पर होता है।
- इनका पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं।
- लोकसभा में अधिकतम 230 प्रश्न पूछे जाते हैं।
- राज्यसभा मे अधिकतम 160 प्रश्न पूछे जाते हैं।

→ 1 व्यक्ति [redacted] लोकसभा में 1 से 3 प्रश्न प्रतिदिन पूछ सकते हैं।

→ 1 व्यक्ति राज्यसभा में कितनी भी प्रश्न प्रतिदिन पूछ सकते हैं।

अल्पसूचना प्रश्न (Short-Notice Question)

→ किसी तात्कालीक विषय पर पूछे जाते हैं।

→ इन प्रश्नों में मंत्री को 10 दिनों का सूचना (Notice) दिया जाता है।

→ इन प्रश्नों का जवाब मौखिक तौर पर दिया जाता है और इन पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

शून्य काल (Zero-Hour)

→ प्रश्नकाल के बाद के समय को शून्य काल कहते हैं।

→ शून्यकाल (Zero Hour) साधारणतः 12 PM-1 PM और प्रश्न काल के बाद होता है।

→ यह प्रथा भारतीय संसद की देन है।

→ इसे वर्ष 1960 से शुरू किया गया और ये 1962 में प्रथा बन गई।

→ 1 दिन में लोकसभा में 8 से 10 जानकारियाँ मांगी या पूछी जाती हैं।

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

→ 1 दिन में राज्यसभा में 2 से 3 जानकारियाँ मांगी या पूछी जाती है।

→ सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) शून्य काल (Zero Hour) चलता है।

संसद का कानून बनाने की प्रक्रिया
Law Making process in Parliament

→ भारत में कानून बनाने का कार्य संसद करती है राष्ट्रपति की सहमति के साथ।

विधेयक (Bill)

- साधारण विधेयक (Ordinary Bill)
- धन विधेयक (Money Bill)
- वित्त विधेयक (Finance Bill)
- संविधान संशोधन विधेयक (Const Amend -ment Bill)

साधारण विधेयक (Ordinary Bill)

→ साधारण विधेयक वो विधेयक होते है जो धन, वित्त, और संविधान संशोधन से संबंधित नहीं होती है।

जैसे:- नागरिकता संशोधन विधेयक।
कृषि विधेयक।